विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम गुरूवार के लिए निर्धारित, डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर-

प्रश्न	उत्तर
4- (क) क्या मत्स्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद- बहराइच में मत्स्य पालकों को हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में सहायक निदेशक मत्स्य बहराइच ने अपने पत्र संख्या-395/म0जी0सह0स0लि0-चहलवा/शिकायत-जॉच/2020-21, दिनांक 24 अगस्त, 2020 के माध्यम से जॉच आख्या निदेशक, मत्स्य उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की गयी है?	**जी हाँ।**
(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?	(ख) सहायक निदेशक मत्स्य, बहराइच के पत्र दिनांक 24.08.2020 द्वारा निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 को जाँच आख्या उपलब्ध करायी गयी। जाँच आख्या के आधार पर मत्स्य निदेशालय के पत्र दिनांक 11.12.2020 द्वारा मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0, चहलवा के सचिव/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध समिति (प्रथम पक्ष) तथा पत्र दिनांक 01.01.2021 द्वारा श्री फगुनी प्रसाद (सदस्य) मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0, चहलवा (द्वितीय पक्ष) को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-72(2) सपठित नियमावली, 1968 के नियम-270 (क) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत पृथक-पृथक नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक 11.01.2021 को सुनवाई हेतु उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे जाने का निर्देश दिया गया। उक्त तिथि को प्रथम पक्ष की तरफ से समिति के सचिव तथा अध्यक्ष उपस्थित हुए तथा द्वितीय पक्ष की तरफ से शिकायतकर्ता श्री फगुनी प्रसाद उपस्थित हुए। दोनों पक्षों द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन एवं सहायक निदेशक मत्स्य, बहराइच की जाँच आख्या के आलोक में समिति को उसके विरूद्ध पायी गयी त्रुटियों के सुधार हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-69 के अन्तर्गत एक अवसर प्रदान

	किया गया। एक ही परिवार के कई सदस्यों के शामिल होने तथा समिति के सचिव द्वारा नियम विरूद्ध कार्य करने की शिकायत की गयी थी। समिति की प्रबन्धकीय व्यवस्था शून्य होने के कारण समिति के निर्वाचन एवं सामान्य संचालन हेतु गठित अंतरिम कमेटी द्वारा समिति में एक ही परिवार के सगे-सम्बन्धी होने तथा बैठक में प्रतिभाग न किये जाने के कारण उन सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर संशोधित सदस्यता सूची तैयार की गयी। इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या-2026/2020, फगुनी प्रसाद बनाम् एस0के0 सिंह, निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 22.10.2021 के अनुसार समिति के सचिव पर कार्यवाही समिति की निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी द्वारा की जानी है। समिति की प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 27.02.2023 से दिनांक 19.03.2023 तक की तिथि में कराया जायेगा। प्रबन्ध कमेटी के गठन के पश्चात नवनिर्वाचित प्रबन्ध कमेटी द्वारा सचिव के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

(डा0 संजय कुमार निषाद)
मंत्री
मत्स्य विभाग।